## महत्वपूर्ण एवं खास

### कलेक्टोरेट सारंगढ़ का जनदर्शन 5 दिसंबर तक स्थगित

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनदर्शन को आगामी विधानसभा चुनाव परिणाम 5 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित किया है।

### विधानसभा निर्वाचन के अभ्यर्थी को कोई भी विज्ञापन जारी करने के पूर्व प्रमाणन लेना अनिवार्य

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी, पोर्टल, फेसबुक, यूट्यूब आदि में विज्ञापन जारी करने के पूर्व प्रमाणन लेना अनिवार्य है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति जनपद पंचायत सारंगढ़ में संचालित है। संबंधित अभ्यर्थी अपने विज्ञापन को जारी करने के पूर्व उस विज्ञापन का प्रारूप, दस्तावेज के साथ वीडियो - ऑडियो क्लिप सीडी और पेनड्राइव दोनो में अपलोड कर कार्यालयीन समय में लेकर आएं।

### व्यय प्रेक्षक रत्नेश ने एफएसटी भोगडीह टीम का किया निरीक्षण

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** जिले के व्यय प्रेक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने बिलाईगढ़ विधानसभा के बसना रोड में जिला के सीमा पर स्थित ग्राम भोगडीह में स्थैतिक निगरानी दल (एफएसटी) का निरीक्षण किया। व्यय प्रेक्षक सिंह ने टीम द्वारा चेक किए गए गाड़ियों के रजिस्टर में एंट्री का अवलोकन किया। सिंह ने रजिस्टर में गाड़ी नंबर, ड्राइवर और वाहन मालिक का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम बिलाईगढ़ डॉ स्निग्धा तिवारी, जिला प्रबंधक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम सूर्यकांत शुक्ला, तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी कमलेश सिदार उपस्थित थे।

### व्यय प्रेक्षक रत्नेश सिंह ने ली जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्रमांक 17-सारंगढ़ और 43- बिलाईगढ़ के लिए रत्नेश कुमार सिंह (आईआरएएस-2009) को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है। व्यय प्रेक्षक सिंह ने विश्राम गृह सारंगढ़ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी की उपस्थिति में सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्वाचन कार्यों के संबंध में चर्चा की गई और कार्यों को सुचारू संचालन के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम मोनिका वर्मा, डॉ स्निग्धा तिवारी, एएसपी निवोदिता पाल, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, जिला कोषालय अधिकारी चंद्रपाल सिंह ठाकुर, डीएसपी मनीष कुंवर, तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नेत्रप्रभा सिदार, आयुष तिवारी, नायब तहसीलदार रूपाली मेश्राम आदि उपस्थित थे।

# व्यय प्रेक्षकों ने चेकपोस्ट पर निगरानी रखने व संदेहास्पद सामग्री परिवहन पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

- व्यय प्रेक्षक ओमप्रकाश व पी.सुगेन्द्रन ने एनफोरसमेंट एजेंसीज के नोडल अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक
- व्यय प्रेक्षकों ने बैंकर्स से कहा संदिग्ध लेनदेनों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियमित रूप से रिपोर्ट जमा करें

**रायगढ़।** रायगढ़ के 4 विधानसभाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनमें विधानसभा क्षेत्र 15-लैलूंगा एवं 16-रायगढ़ के लिए (आईआरएस) ओमप्रकाश को व्यय प्रेक्षक बनाया गया है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र 18-खरसिया एवं 19 धरमजयगढ़ के लिए पी.सुगेन्द्रन (आईए एण्ड एएस) को व्यय प्रेक्षक बनाया गया है। व्यय प्रेक्षक द्वय के द्वारा जिले में आगमन पश्चात निर्वाचन व्यय निगरानी दलों के कार्य का निरीक्षण किया गया व प्रभारी अधिकारियों से कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली गई। जिसके पश्चात व्यय प्रेक्षक ओमप्रकाश व पी. सुगेन्द्रन के द्वारा एनफोर्समेंट एजेंसीज पुलिस, आबकारी, फॉरेस्ट, माइनिंग, स्टेट और सेंट्रल जीएसटी के साथ आरपीएफ और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में सभी अधिकारियों से अब तक उनके द्वारा की गई कार्यवाही और आगे की रणनीति के बारे चर्चा की गई। बैठक में व्यय प्रेक्षक ने कहा कि चुनाव कार्य में लगे सभी निगरानी दलों को पूरी तत्परता व मुस्तैदी के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान निर्वाचन का कार्य संबंधित एफएसटी एवं एसएसटी दल के साथ समन्वय बनाकर करना है। उन्होंने दल प्रभारियों से कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी तरह के रजिस्टर को संधारित करके रखना है और प्रतिदिन की गतिविधियों को दर्ज करना है। व्यय प्रेक्षक ने जिले की सीमा में चेकपोस्ट में नगद राशि, अवैध शराब, कपड़े, शस्त्र तथा अन्य संदेहास्पद वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखने एवं अवैध पदार्थों के परिवहन संबंधी शिकायतों पर सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश संबंधित दल प्रभारियों को दिए।

व्यय प्रेक्षकों ने ली बैंकर्स की बैठक

व्यय प्रेक्षक ओमप्रकाश व पी.सुगेन्द्रन ने बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि निष्पक्ष निर्वाचन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान ऐसे एकाउंट के लेनदेन पर विशेष नजर रखें जिनका उपयोग निर्वाचन को प्रभावित करने में हो सकता है। उन्होंने संदेहास्पद लेनदेन पर कहा कि एक लाख से अधिक जमा एवं निकासी हो तो सोर्स की जानकारी ले, इसके साथ ही एक अकाउंट से एक से अधिक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर, प्रत्याशी के खाते के अलावा उनके परिजनों के खाते में एक लाख से अधिक रूपये होने पर, इसके अलावा काफी दिनो से बंद खाते में एकाएक पैसों का लेनदेन पर आपको नजर रखते हुए प्रतिदिन रिपोर्ट भेजना है। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हैं, लिहाजा प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन हेतु बैंक में नवीन खाते खुलवाए जाएंगे, जिसमें प्रत्याशी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कैश परिवहन पर जानकारी ली। बैंक प्रतिनिधियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार क्यूआर कोड जेनरेट कर वाहन भेजा जा रहा हैं, जिस पर व्यय प्रेक्षक ने कहा कि कैश वाहन का रैंडम चेक करना सुनिश्चित किया जाए।

अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय ने सी-विजिल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनसामान्य के लिए सी-विजिल सिटीजन एप उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन को प्रभावित करने वाली अनियमितता जैसे कैश, शराब, सामग्री वितरण दिखने पर आप एप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। जिसका निराकरण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष निर्वाचन हेतु जनसामान्य को ये अधिकार दिए गए है इसका उपयोग कर सकते है। सहायक व्यय प्रेक्षक सर्व बसंत गुलेरी, रिद्धि साहू, ज्योति सिंह, एल.के.बारा, एस.के. मिंज सहित सभी बैंकों के नोडल/प्रबंधक उपस्थित रहे।

## फ्रूट ड्रिंकिंग बाटल में महुआ शराब का भरकर बेच रहा युवक गिरफ्तार

- आरोपी से एप्पी फीज की 16 बॉटल में भरी महुआ शराब जब्त, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

**रायगढ़।** कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 21/10/2023 को रियापारा के एक मकान में अवैध महुआ शराब बिक्री किए जाने की सूचना पर शराब रेड कार्यवाही किया गया। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि रियापारा का छबिलाल उरांव अपने घर पर Appy Fizz और B. FIZZ ड्रिंकिंग वॉटर पर महुआ शराब भरकर चोरी छिपे बेच रहा है। कोतवाली पुलिस रियापारा के छबिलाल उरांव के घर शराब रेड कर संदेही को अवैध शराब बिक्री के संबंध में पूछताछ किया गया, आरोपी छबिलाल के घर आंगन पर पानी बोतल और Appy Fizz, B. FIZZ की बोतल में भरी महुआ शराब रखा हुआ मिला आरोपी के कब्जे से 1 पानी बोतल और 125 ml वाली Appy Fizz और B. FIZZ ड्रिंकिंग वॉटर पर में बिक्री हेतु भरी हुई महुआ शराब (3 लीटर) की जप्ती गवाहों के समक्ष की गई है। थाना कोतवाली में आरोपी छबि लाल उरांव पिता बोलो उरांव उम्र 25 वर्ष निवासी रियापारा मस्जिद के सामने थाना कोतवाली के आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। शराब रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली शनिप रात्रे, एएसआई दिलीप बेहरा, प्रधान आरक्षक हेमन्त पात्रे, आरक्षक मनोज पटनायक, उत्तम सारथी और महिला आरक्षक कस्तूरी राठिया, प्रतीक्षा मिंज शामिल थे।

## फ्लाइंग स्क्वाड और कोतवाली पुलिस को वाहन चेकिंग दौरान बाइक चालक के बैग में मिला 7.42 लाख रुपए

- बाइक चालक पेश नहीं कर पाया कोई कागजात, कोतवाली पुलिस जब्त की संदिग्ध रकम

**रायगढ़।** आसन्न विधानसभा चुनाव 2023 निष्पक्ष व शांतिपूर्ण करने के उद्देश्य से कलेक्टर रायगढ़ कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन पर फ्लाइंग स्क्वाड (FST) व पुलिस टीमें पेट्रोलिंग के माध्यम से एवं विभिन्न चेक पॉइंट में नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच कर निर्वाचन व्यय, निर्वाचन सामग्री एवं बिना अनुमति निर्वाचन प्रचार-प्रसार पर निगाह रखे हुए है।

इसी क्रम में दिनांक 22/10/2023 के दोपहर फ्लाइंग स्क्वाड और कोतवाली पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग दौरान ढिमरापुर चौक पर पूंजीपथरा की ओर से रायगढ़ आ रहे बजाज सीटी 100 मोटरसाइकिल के चालक के बैग में रखे रु. 7,42,000 नगद रकम की जप्ती कर जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचना दी गई है।

वाहन चेकिंग दौरान संदिग्ध रकम के साथ पकड़े गए मोटरसाइकिल बजाज सीटी 100 क्रमांक सीजी 12 यू.ए. 2536 का चालक रामशेखर सिंह पिता कन्हैया प्रसाद उम्र 38 साल निवासी मधुबनपारा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ को जिले में आचार संहिता के प्रभावशील होने तथा 50,000 रूपये से अधिक कैश के परिवहन को आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया और बैग में रखें रु. 7,42,000 के संबंध में पूछताछ किया गया जिसमें रामशेखर सिंह कोई संतोषजनक जवाब अथवा रकम सबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे जांच टीम ने रकम को संदिग्ध मानकर जब्त किया गया है। थाना कोतवाली रायगढ़ में धारा 102 सीआरपीसी के तहत नगद रकम की विधिवत जप्ती की गई है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय को कार्यवाही की जानकारी दी गई है।

## भारत-न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में मोबाइल पर क्रिकेट सट्टा नोट कर रहे 4 आरोपी गिरफ्तार, 11,120 रुपए नगद व चार मोबाइल जब्त

- क्रिकेट सट्टा पर साइबर सेल और चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही

**रायगढ़।** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देश पर साइबर सेल एवं थानों की टीमों द्वारा अवैध मादक पदार्थों एवं जुआ-सट्टा, अवैध कबाड़ पर मुखबीर लगाकर लगातार कार्यवाही कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्तमान में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच पर क्रिकेट सट्टा की संभावना को लेकर साइबर सेल एवं सभी थाना, चौकी प्रभारी को निगाह रखकर कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में आज दिनांक 22/10/2023 को थाना चक्रधरनगर अंतर्गत कौहाकुंडा पहाड़ मंदिर के पास शहर के कुछ युवकों के द्वारा भारत-न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में बॉल दर बॉल सट्टा लगाने वाले व्यक्तियों से मोबाइल पर संपर्क कर सट्टा नोट करने की सूचना पर पुलिस को मिली। तत्काल थाना चक्रधरनगर एवं साइबर सेल स्टाफ की संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी का रेड कार्यवाही किया गया। मौके पर टीम ने शहर के चार युवक – शाहीद खान, विनय देवांगन, करण सारथी, बिट्टू सारथी को मोबाइल पर सट्टा नोट करते और कागज में विवरण लिखते पकड़ा गया है। आरोपियों के कब्जे से क्रिकेट सट्टा में लगी 11,120 रूपये नकद, 4 मोबाइल और कागज में लिखा सट्टा विवरण की जप्ती किया गया है।

आरोपियों के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में धारा 6 छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है। क्रिकेट सट्टा रेड की कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर, उपनिरीक्षक जी.एल.साहू, सहायक उप निरीक्षक नंदू सारथी तथा साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, बृजलाल गुर्जर, आरक्षक महेश पंडा, सुरेश सिदार, विक्रम सिंह, नरेश रजक, उद्धव मांझी (थाना चक्रधरनगर) और महिला आरक्षक मेनका चौहान की अहम भूमिका रही है।

## छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 : निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी निशुल्क चिकित्सा सुविधा

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश

**रायगढ़।** विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी-कर्मचारी राजधानी रायपुर के 4 तथा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

शासकीय अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर अस्पतालों को भी चिन्हांकित किया गया है।

राज्य के भीतर राजधानी रायपुर स्थित बालाजी अस्पताल मोवा, नारायणा अस्पताल देवेन्द्र नगर रायपुर, रामकृष्ण केयर अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर तथा एनएचएमएमआई अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार राज्य के बाहर हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल तथा विशाखापट्टनम के अपोलो अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।

आदेश में उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन कार्य में शामिल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं अशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा बलों एवं स्टाफ के उपचार की सुविधा जिले के शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इन चिकित्सालयों में रिफर किए जाएंगे।

जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में डॉ.खेमराज सोनवानी, उप संचालक, राज्य नोडल एजेंसी मोबा. नंबर (98278-72102, 0771-4026201) के साथ समन्वय कर कार्य संपादित किया जाएगा।

## बिलाईगढ़ में महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर दिया मतदान का संदेश

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता को लेकर जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा 43 के सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले गांव में महिलाओं द्वारा मतदान कलश यात्रा निकाला गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन एवं स्वीप नोडल हरिशंकर चौहान के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे गांव का भ्रमण कर "सारंगढ़ बिलाईगढ़ सबो जाबो वोट देहे बर" का नारा लगाया गया और सबने मतदान करने और सबको मतदान करने हेतु जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बिलाईगढ़ जनपद सीईओ योगेश्वरी बर्मन उपस्थित रहीं।

### गरबा में दिखा मतदाता जागरूकता की अपील

## मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत गरबा के रंग, स्वीप के संग का हुआ आयोजन

**रायगढ़।** मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के तहत गरबा के रंग, स्वीप के संग का आयोजन केलो विहार में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान के लिए अपील की।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव ने कहा कि सभी लोग इस त्यौहार में हिस्सा लिए है, वैसे ही निर्वाचन के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता प्रतिशत को बढ़ाना है। गत निर्वाचन में आपके वार्ड में वोटिंग प्रतिशत कम था, इस निर्वाचन में शत-प्रतिशत मतदान करे और आगामी 17 नवम्बर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिससे आपके वार्ड में शत-प्रतिशत मतदान हो सके। इस अवसर पर सीईओ यादव ने बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान किया।

गरबा के रंग, स्वीप के संग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाए बच्चों ने खुशी एवं उल्लास से गरबा नृत्य के रंग बिखेरे। मतदान की अपील लिए पोस्टर से लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करते नजर आए। इस अवसर पर एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, जनपद सीईओ राजेश साहू, जनपद सीईओ तमनार वीरेंद्र राय सहित एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लाट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :-CHHHIN/2018/76480